पत्रांक–वन भूमि–42/2017....1095(ई)..../प0व0

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

ललन प्रसाद सिंह, भा0व0से0
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002.

पटना–15, दिनांक–27/12/17

विषय :– भोजपुर जिलानतर्गत NH-30 आरा पूर्वी गुमटी (LC No. 48A33T) पर प्रस्तावित (118.089–119.572 कि०मी०) कुल लंबाई 1.483 कि०मी० का ROB निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.823 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-1) प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, गुलजारबाग द्वारा समर्पित किया गया है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–189 (ई०) दिनांक–16.02.1994 द्वारा सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित ROB का निर्माण हेतु 1.823 हे० वन भूमि का अपयोजन एवं पातित होने वाले वृक्षों की संख्या 12 प्रतिवेदित किया गया है। वानस्पतिक घनत्व 0.3 अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण–पत्र मूल रूप में संलग्न है। अपयोजन प्रस्ताव का टोपो सीट एवं Geo-Referenced Map प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 1.823 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने अवकृष्ट 3.64 हे० वन भूमि अर्थात 4 हे० को चिन्हित (खरी सुरक्षित वन) करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 1.823 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 11,41,198/– (ग्यारह लाख एकतालीस हजार एक सौ अनठानवें रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

3. अपयोजित होने वाली 1.823 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये गया प्रमंडल के अतरी प्रक्षेत्र अंतर्गत 4 हे० अवकृष्ट वन भूमि खरी सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए 32,72,366/– (बतीस लाख बहत्तर हजार तीन सौ छियासठ रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागर तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(ललन प्रसाद सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।